Court of A.C.J.M-II, Biraul
TR-1072/24
CR - 234/2010

भवानी शंकर झा बनाम राधा कान्त झा एवं अन्य

25.11.2024

कुल 01 अभियुक्त अनुपस्थित है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.08.2010 को सभी अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया था, इस वाद में अभियुक्त 1. राधा कांत झा के विरूद्ध सभी प्रक्रिया सम्मन, जमानतीय अधिपत्र, अजमानतीय अधिपत्र, 82 एवं 83 द.प्र.स. की आदेशिका की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। परन्तु अभियुक्त आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में अभियुक्त की उपस्थित होने की संभावना नही है।

उपरोक्त स्थिति एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त 1. राधा कांत झा को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभियुक्त का नाम फरार पंजी में दर्ज करें तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। कार्यालय राधा कांत झा का वाद पृथक करें।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय
बिरौल